संख्या:14/2011जेएल/22-3-14-100(36)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 08 सितम्बर, 2014***

विषय: केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी संदीप कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-मिर्जापुर को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-20113/सामा-1(3)/19टीसी/फतेहगढ़ मं0/2009, दिनांक 22-07-2014 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, संत रविदास नगर (भदोही) एवं मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0) वाराणसी के आदेश दिनांक 28-06-2014 के आलोक में, उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-29(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी संदीप कुमार सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-मिर्जापुर को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:14/2011जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद/वाराणसी।
2. पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़/वाराणसी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in